श्री उपसभापति: श्रीमती रूपा गांगुली। ...(**व्यवधान**).. आप बोलिये।

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, I have a point of order. Please allow me to raise it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Come to your point of order. I am allowing you.

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, I am quoting from Rule 238 (i) until the Explanation. The 1991 Act was passed by this Parliament itself to protect the idea of cordiality and harmony. Now, my learned friend has opened the Pandora's box. The nation has suffered in the name of religious conflict.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Prof. Manoj Kumar Jha, there is no point of order in this. Please take your seat. There is no point of order, Mr. Jha. ...*(Interruptions)*.... I would like to make it clear ये जो सारे नोटिसेज़ आते हैं, राज्य सभा के रूल्स के तहत ही माननीय चेयरमैन उन्हें एडमिट करते हैं, अगर आप उससे असंतुष्ट हैं तो you can write to the hon. Chairman. That is all. सारी चीजें रूल्स के तहत हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ; तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव): महोदय, सदन की एक परम्परा रही है, रूल 258 के अंतर्गत प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। प्रोविज़न-1, प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठाने का है, प्रोविज़न-2 उसे मानने का है, तो जो प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है, उसमें रूलिंग को मानना भी है।

श्री उपसभापति: थैंक यू। श्रीमती रूपा गांगुली।

Need for introduction of proportionality system and revision of quota for Rajya Sabha members for admissions in Kendriya Vidyalayas

श्रीमती रूपा गांगुली (नाम निर्देशित): माननीय उपसभापति महोदय, मैं ज़ीरो ऑवर के इस विषय को सदन के सामने रखना चाहती हूं। 10 बच्चों को पढ़ने का मौका मिलना, मतलब उससे दस परिवारों का भविष्य बनता है। हर एक एमपी को यह मौका मिलता है - लोक सभा एमपी अपने क्षेत्र के दस बच्चों का केन्द्रीय विद्यालयों में पढ़ने के लिए चयन कर सकते हैं और राज्य सभा के एमपी, हालांकि वह एक पूरे राज्य के रिप्रेज़ेन्टेटिव हैं, उनके पास भी संख्या में दस बच्चों को केन्द्रीय विद्यालयों में पढ़ाने की अनुमति है, लेकिन हम जैसे जो नॉमिनेटेड मेम्बर्स हैं, हमारे पास पूरे देश से बहुत सारी रिक्वेस्ट्स आती हैं। मुझे लगता है कि इसमें प्राइमरी बात यह है कि प्रपोर्शन के हिसाब से, पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से इनकी संख्या होनी चाहिए। महोदय, हम सभी जानते हैं

और मैं मानती हूँ कि 'Primary Education' is a State responsibility and in Concurrent List. केन्द्रीय विद्यालयों की स्थिति कुछ सालों से बहुत अच्छी तरह से सुधर रही है। जिन परिवारों से हम expect भी करते हैं कि वे खुद online फॉर्म जमा करें, उनमें से ज्यादातर आज ऐसा करने की हालत में नहीं हैं। उनमें से कोई टेम्पो चलाता है, तो कोई ठेला चलाता है। मुझे 4 सालों में यह एहसास हुआ है कि उन माता-पिता को अच्छी तरह से लिखना-पढ़ना भी नहीं आता, लेकिन वे सपना देखते हैं कि उनका बच्चा अंग्रेज़ी सीखेगा, हिन्दी सीखेगा, सारी बातें सीखेगा, अपनी regional language सीखेगा, संस्कृत भी optional है, तो वह जिन्दगी में आगे बढ़ेगा। इतना अच्छा मौका बच्चों के हाथ से कभी नहीं छिनना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सदन से और सरकार से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि यह संख्या बढ़ायी जाए और इसमें जो transparency है, इसका भी डेटा प्रस्तुत किया जाए कि कैसे और किस तरह से बच्चों के लिए यह transparent हो। चार लोग गलत करते हैं, ऐसा कहने से इतने सारे लोग गलत नहीं करते। ऐसे किसी भी बड़े विद्यालय या किसी युनिवर्सिटी में -- मैं किसी भी quota system के पक्ष में नहीं बोलूँगी, कभी नहीं बोलूँगी -- वह merit basis पर होना चाहिए, लेकिन primary education द्वारा एक बच्चे के भविष्य के साथ-साथ, पूरे परिवार की ज़िन्दगी का सपना और भविष्य बना रहता है, धन्यवाद।

श्रीमती जया बच्चन: महोदय, मैं माननीय सदस्या द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करती हूँ।

श्री राकेश सिन्हा (नाम निर्देशित)**:** महोदय, मैं भी माननीय सदस्या द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री हरनाथ सिंह यादव: महोदय, मैं भी माननीय सदस्या द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार)**:** महोदय, मैं भी माननीय सदस्या द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री बृजलाल (उत्तर प्रदेश)**:** महोदय, मैं भी माननीय सदस्या द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री रामचंद्र जांगड़ा (हरियाणा)**:** महोदय, मैं भी माननीय सदस्या द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

DR. FAUZIA KHAN: Sir, I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA: Sir, I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK: Sir, I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

Need to ensure representation of OBCs in local bodies of Maharashtra

डा. विकास महात्मे (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदय, मैं आपके जरिए सभी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जो कि बहुत अन्यायपूर्ण भी है। महाराष्ट्र में अभी फिलहाल municipal corporation और municipalities के तथा वैसे ही स्थानीय नगर निगम, जिला परिषद् और जिला पंचायत के इलेक्शंस हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश इन सभी में जो Other Backward Classes हैं, उनका प्रतिनिधित्व खत्म किया गया है।

महोदय, ऐसा पहली बार हुआ है। इसकी वजह यह है कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कहा था कि वह 3 मुद्दों पर काम करे। पहला यह था कि वह पिछड़ा वर्ग आयोग (OBC Commission) बनाये और दूसरा, इस कमीशन के जरिए वह empirical data collect करे। Empirical data का मतलब अनुभवजन्य डेटा होता है। जैसे हमारा exit poll होता है, उसमें भी हम data collect करते हैं और वह टीवी पर सबको दिखाया जाता है, उसी तरह से यह data मराठा आरक्षण के वक्त भी महाराष्ट्र सरकार ने collect किया था। वैसे ही यह empirical data collect करने का काम था, जो कि possible था, लेकिन उसके बाद इन दोनों मुद्दों पर कुछ भी काम नहीं हुआ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो OBC Commission स्थापित करने का निर्देश दिया था, वह OBC Commission डेढ़ साल तक स्थापित नहीं हुआ और उसके जरिए जो empirical data collect करना था, वह काम भी नहीं हुआ। OBC Commission की स्थापना भी 5 महीने पहले हुई, लेकिन उसको ऑफिस के लिए जगह भी नहीं दी गयी और उसी प्रकार उसे फंड भी आवंटित नहीं किया गया। इसकी वजह से उसमें जो दो सदस्य थे, उन्होंने भी उसका बहिष्कार किया या उन्होंने इस कमीशन से resignation दे दिया, क्योंकि उनके खयाल में आया कि OBC का आरक्षण बचा रहे इसके लिए सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं हो रही है। इसकी वजह से 50 परसेंट से भी ज्यादा OBC जो महाराष्ट्र में हैं, पहली बार उनके ऊपर एक प्रकार से अन्याय हो रहा है और राजकीय प्रतिनिधित्व हमेशा के लिए खत्म हो रहा है। इसके लिए कोई डिपार्टमेंट भी जवाबदेह नहीं है। इसकी जवाबदेही तय करना सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन वह पूरी नहीं की गयी। अभी पुणे, नागपुर, मुम्बई और औरंगाबाद, इन सभी बड़े महानगरों के कॉरपोरेशंस के इलेक्शंस हैं और 50 परसेंट से भी ज्यादा इलेक्शंस में OBC की सीट्स हैं। इसमें पूरी तरह अगले 5 साल के लिए, OBC आरक्षण करीब-करीब नहीं रहेगा। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि जो Central OBC Commission है, वह *suo motu*, अपने आप इसके ऊपर संज्ञान ले और इसके ऊपर कार्रवाई करे तथा केन्द्र सरकार भी महाराष्ट्र सरकार को उचित निर्देश दे, धन्यवाद।